**संख्या-363/2017/2323/22-2-2016-17(95)/2011**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमाशंकर उर्फ भोले पुत्र श्री शिव प्रसाद, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44183/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0-17-11-2016) दिनांक-15-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमाशंकर उर्फ भोले पुत्र श्री शिव प्रसाद, निवासी ग्राम-सराय जानमती मजरे खटवारा, थाना-जेठवारा, जनपद-प्रतापगढ़ का रहने वाला है। पुरानी रंजिश को लेकर बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12/13-04-1996 की रात्रि लगभग 12-00 बजे शीतला प्रसाद पाण्डेय के घर में घुसकर उसे गोली मार दी और लूटपाट की तथा उसकी पत्नी, लड़की नीलम व गुड्डन, लड़का संतोष कुमार, मनोज कुमार व सुशील कुमार के ऊपर डीजल डालकर जला दिया और मकान में आग लगा दी। जब तक आग जलती रही तब तक घर की छत पर चढ़ कर गोली चलाते रहे। आग से जलकर सातों की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-238/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302,148,436,449,397 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 07.10.2002 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2004 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.10.2016 तक 20 वर्ष 05 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 08 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतागढ़ द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा0 अपर सत्र

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रतापगढ़ द्वारा कारागार को उपलब्ध कराये गये अभिमत दिनांक 03-10-2016 के अनुसार मा0 न्यायालय का अभिमत है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का पूर्णतः अनुपालन कराया जाये। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर एक ही परिवार के 07 सदस्यों की बर्बर एवं निर्मम हत्या की गयी है, जिसमें माता-पिता एवं 05 बच्चे थे। बन्दी द्वारा जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस हत्या काण्ड में एक ही व्यक्ति का सम्पूर्ण परिवार जलाकर भष्म कर दिया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में किये गये विरोध एवं मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शेष सजा का परिहार करते हुए सिद्धदोष बन्दी रमाशंकर उर्फ भोले पुत्र श्री शिव प्रसाद को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रमाशंकर उर्फ भोले (बन्दी संख्या-8512/2002) पुत्र श्री शिव प्रसाद, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

**<u>संख्या-363/2017/2323(1)/22-2-2016 तद्दिनांक</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।